

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक ब्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28C]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 मई 2010—वैशाख 21, शक 1932

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2010

क्र. एफ. 4-1-2010-1-पचपन.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा (एम. डी. तथा एम. एस.) पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दंत चिकित्सा (एम. डी. एस.) स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2010 में निम्न प्रकार संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

1. (प्री पी. जी. नियम 2010 की) तालिका क्रमांक-2 सेवारत उम्मीदवारों में सरल क्रमांक 16 के कॉलम (18) में चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में अनारक्षित श्रेणी में एम. डी. रेडियोडायग्नोसिस की 1 सीट पढ़ी जावे. कॉलम (18) का योग 05 तथा कॉलम (28) में महायोग 38 पढ़ा जावे.
2. (प्री पी. जी. नियम 2010 की) तालिका क्रमांक-2 सेवारत उम्मीदवारों में कॉलम (23) में चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में अनारक्षित श्रेणी में सरल क्रमांक 14 में एम. डी. फार्माकोलॉजी की 0 सीट तथा सरल क्रमांक 15 में एम. डी. फिजियोलॉजी की 1 सीट पढ़ी जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सुहेल अली, उपसचिव.